



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 26 फरवरी, 2008

फाल्गुन 7, 1929 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायी अनुभाग-1

संख्या 432/79-वि-1-08-1(क)58-2007

लखनऊ, 26 फरवरी, 2008

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 25 फरवरी, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2008)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठारवने वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 की धारा 2 का संशोधन	2-उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :- “(छ) ‘सदस्य’ का तात्पर्य बोर्ड के किसी सदस्य से है।”
धारा 4 का संशोधन	3-मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3) में खण्ड (ग) में उपखण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- “(चार) शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखते हों और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हों।”
धारा 5 का संशोधन	4-मूल अधिनियम की धारा 5 में,- (क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्:- “(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और प्रत्येक सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।” (ख) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :- “(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में पद धारण नहीं करेगा यदि उसने अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा यदि उसने बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।”

### उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त विद्यालयों और इण्टरमीडिएट कालेजों में प्रधानाचार्यों, प्रधान अध्यापकों, प्रवक्ताओं और प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के चयन से सम्बन्धित सभी कार्य करने होते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष का कार्यकाल दो वर्ष है जो कि चयन प्रक्रिया की अनवरतता बनाये रखने के लिये पर्याप्त नहीं है। इसलिये यह विनिश्चय किया गया है कि निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिये उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय:-

- (क) शब्द “सदस्य” की परिभाषा को संशोधित करना जिससे उसमें से अध्यक्ष को निकाल दिया जाय;
- (ख) पात्रता के क्षेत्र को व्यापक करने के लिये सदस्य की अर्हता को संशोधित करना;
- (ग) अध्यक्ष के कार्यकाल को दो वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष करना;
- (घ) अध्यक्ष के पद को धारण करने की अधिकतम आयु को बासठ वर्ष से बढ़ाकर अड़सठ वर्ष करना;

तदनुसार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
सै० मजहर अब्बास आब्दी,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Seva Chayan Board (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 25, 2008.

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES SELECTION  
BOARD (THIRD AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. ACT NO. 4 OF 2008)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

furthur to amend the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Third Amendment) Act, 2007.

Short title

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982, hereinafter referred to as the principal Act, for clause (g), the following clause shall be substituted, namely :-

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 5 of 1982

"(g) 'member' means a member of the Board."

3. In section 4 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (c) after sub-clause (iii) the following sub-clause shall be inserted, namely:-

Amendment of section 4

"(iv) is interested in the field of Education and a Graduate from a recognized University."

4. In section 5 of the principal Act, -

Amendment of section 5

(a) for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) Subject to the provisions of this Act the Chairman shall hold office for a term of five years and every member shall hold office for a term of two years."

(b) for sub-section (5) the following sub-section shall be substituted, namely :-

"(5) Notwithstanding anything contained in this section, no person shall hold office as the Chairman if he has attained the age of sixty eight years and no person shall hold office as a member if he has attained the age of sixty two years."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Chairman of Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board constituted under the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982, has to perform all the works regarding the selection of Principals, Headmasters, Lecturers and Trained Graduate Teachers in aided Schools and Intermediate Colleges of Uttar Pradesh. The present tenure of Chairman is two years,

which is not sufficient to maintain the continuity of the selection process. It has, therefore, been decided to amend the said Act to provide for :-

- (a) amending the definitions of the word "member" to exclude the Chairman therefrom;
- (b) amending the qualification of member to broaden the field of eligibility;
- (c) increasing the term of the Chairman from two years to five years;
- (d) increasing the maximum age to hold office of Chairman from sixty two years to sixty eight years;

The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Third Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By order,  
S.M.A. ABIDI,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए० पी०-1121 राजपत्र-(हिन्दी)-2008-(2505)-597-(कम्प्यू०-टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए० पी०-444 सा० विधायी-2008-(2506)-850(कम्प्यू०-टी/आफसेट)।